"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2007-2009."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 37] रायपुर, बुधवार, दिनांक 17 फरवरी 2010—माघ 28, शक 1931

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 फरवरी 2010

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-1/18/2010.—छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विषय पर पूर्व में जारी अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार नीचे दी गई सारणी के कालम (3) में विनिर्दिष्ट नगरपालिका के संबंध में उक्त सारणी के तत्स्थानी कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट वार्डों की संख्या अवधारित करती है, अर्थात् :—

अनुसूची

क्रमांक (1)	जिला (2)	नगरपालिका का नाम (3)	वार्डों की संख्या (4)
1.	रायपुर	बीरगांव	35

Raipur, the 16th February 2010

NOTIFICATION

No. F 1-1/18/2010.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 29 of the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), and in supersession of all previous notifications issued on the subject the State Government in respect of the Municipal Council specified in column (3) of the Schedule below, hereby determines the number of wards as specified in the corresponding column (4) of the said Schedule, namely :—

SCHEDULE

S. No. (1)	District (2)	Name of the Municipal Council (3)	No. of Wards (4)
1.	Raipur	Beergaon	35

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, उप-सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.